न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–अशोक नगर

R 716-II/12

गंगाराम पुत्र रतन सिंह रघुवंशी, निवासी– ग्राम अमोदा, तहसील शाड़ौरा, जिला–अशोक नगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

घूमन पुत्र मंगलिया हरिजन, निवासी– ग्राम अमोदा, तहसील शाड़ौरा, जिला–अशोक नगर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा आज दि 26-3-12 को प्रस्तुत

26-3-12
डिप्टी ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 96/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.01.2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

2

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है:–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, नायब तहसीलदार वृत शाड़ौरा के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 48/अ–19/01–02 के द्वारा अनावेदक को ग्राम अमौदा की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 853/1 ग रकवा 0.637 हेक्टेयर भूमि का आदेश दिनांक 21.05.2002 के द्वारा पट्टा आवंटन किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 69/04–05 प्रस्तुत की गई थी, जो अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 से अस्वीकार की गई थी।

2– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 96/2011–12 प्रस्तुत की गई थी, जो अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 13.01.2012 से मात्र इस आधार पर समाप्त कर दी गई कि इस न्यायालय को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं है। इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त पुनरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

26.3.2012
K.K. DWIVEDI

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/716/दो/2016/ जिला-अशोकनगर

गंगाराम विरूद्ध घूमन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री बिनोद श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। 2- यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 96/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 69/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध में है। 3- प्रकरण का संक्षिप्त सार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.12.2011 में अंकित होने से यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु संक्षिप्त सार का गंभीरता से अवलोकन किया गया है। 4- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर पुन: लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया गया है। प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 5- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में भी वही तर्क दुहराए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं में अंकित है जिन्हें यहां इस आदेश में दुहराया जाकर पुनरांकित नहीं किया गया है किन्तु उन पर विचार किया गया है। इसके साथ ही अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि अनुकूल बताते हुए अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित कर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया । 6- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुक्रम	

प्रकरण क्रमांक निग/716/दो/2016/ जिला-अशोकनगर

गंगाराम विरूद्ध घूमन

में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13.01.12 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण मात्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि निगरानी सुनने की अधिकारिता उनको नहीं है। प्रकरण में उपस्थित मुख्य बाद बिन्दु के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के अभिलेख एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के अभिलेख का अवलोकन किया गया गया। निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 69/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 के पैरा क्रमांक 2, 3, 4 में बाद बिन्दु के संबंध में विस्तृत तथा बोधगम्य व्याख्या एवं विष्लेषण किया जाकर पैरा 6 में निष्कर्ष निकाला गया है, जिसका मेरे द्वारा सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13.12.2011 में निकाला गया निष्कर्ष सारवान एवं बोधगम्य तथा विधि अनुकूल होने से इस आदेश का अंग होगा। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्नाधीन आदेश स्पष्ट एवं बोलते हुए आदेश की परिधि में होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अपर आयुक्त का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 13.01.2012 भी संहिता में निहित प्राधानों के अनुरूप होने से उसमें भी किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश बोधगम्य एवं कानून संमत होने से स्थिर रखे जाते है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि. हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य